प्रेस सूचना ब्यूरो
भारत सरकार
***

# केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने दिल्ली में 'द देहली साइकल वॉक' की आधारशिला रखी

## साइकल चालकों की संख्या 11 लाख से बढ़कर 50 लाख होने की उम्मीद है जिससे यातायात और प्रदूषण के स्तर में कमी आएगी - श्री अमित शाह

## 1700 से अधिक अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले 40 लाख लोगों को पीएम मोदी के साहसिक निर्णय के कारण मालिकाना हक मिला : गृह मंत्री

## दिल्ली सरकार ने यहाँ की जनता को मोदी सरकार की 'आयुष्मान भारत' योजना के लाभ से वंचित रखा है – केंद्रीय गृह मंत्री

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2020

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली के तुगलकाबाद में 'द देहली साइकल वॉक' की आधारशिला रखी। श्री शाह ने प्रस्तावित साइकिल वॉक ट्रैक के लाभों के बारे में उल्लेख करते हुए कहा कि यह नई दिल्ली के वायु प्रदूषण को 20% तक कम कर देगा और अब दिल्ली में हरित वातावरण में आवागमन संभव होगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह कदम एक ऐसे युग की ओर अग्रसर होगा जहां प्रदूषण रहित परिवहन संभावनाएं चलन में आएंगी और इनका व्यापक रूप से उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 200 किमी द साइकल वॉक ट्रैक प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के फिट इंडिया के दृष्टिकोण को मजबूत करता है। श्री शाह ने कहा कि वर्तमान में नई दिल्ली में साइकिल पर लगभग 11 लाख लोग आवागमन करते हैं और इस संख्या को बढ़ाकर 50 लाख तक पहुंचाने का प्रयास किया जाना चाहिए, जिससे दिल्ली के यातायात और प्रदूषण के स्तर में कमी आये। उन्होंने सुझाव दिया कि डीडीए को क्लब स्थापित करना चाहिए और सभी नागरिकों, विशेष रूप से कॉलेज जाने वाले युवाओं द्वारा साइकिल के उपयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए।

श्री शाह ने आयुष्मान भारत योजना पर बोलते हुए कहा कि यह किसी भी अन्य मौजूदा सरकारी स्वास्थ्य योजना की तुलना में अधिक बेहतर है। उनका कहना था कि दिल्ली के निवासी इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि दिल्ली सरकार इस योजना को लागू नहीं कर रही है। उन्होंने दिल्ली में पीने के पानी की गुणवत्ता पर टिप्पणी की और कहा कि यह ठीक नहीं है और उसमें सुधार करने की तत्काल आवश्यकता है। श्री शाह ने कहा कि अनधिकृत कॉलोनियों का नियमितीकरण प्रधानमंत्री के साहस के कारण हुआ और इस निर्णय से 1700 से अधिक अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 40 लाख लोगों को लाभ होगा। हाल ही में पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) पर बोलते हुए श्री शाह ने कहा कि इस कानून से पाकिस्तान, अफगानिस्तान बांग्लादेश से प्रताड़ना पाए धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है, इसमें किसी की नागरिकता छीनने का प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्ष देश के अल्पसंख्यकों को गुमराह कर रहा है और देश में भय का माहौल पैदा कर रहा है। श्री शाह ने कहा कि प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अनुच्छेद 370 और 35 को निरस्त करने के साहसी फैसले ने जम्मू और कश्मीर को भारत एक अभिन्न अंग बना दिया है और अब वहां भारत का तिरंगा शान से फहरा रहा है।

श्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली सरकार ने जनता से किए वायदे पूरे नहीं किए और फ्री वाईफाई, स्कूल-कॉलेज खोलने जैसे मुद्दों पर कुछ काम नहीं हुआ। श्री शाह का कहना था कि दिल्ली में म्यूनिसिपल कारपोरेशन ने तमाम बाधाओं के बाद भी अच्छा काम किया है और दिल्ली के विकास के कार्य तेजी से किये जा रहे हैं।

इस अवसर पर केंद्रीय आवास और शहरीकरण और नागरिक उड्डयन और वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री श्री हरदीपसिंह पुरी और दिल्ली के उपराज्यपाल श्री अनिल बैजल उपस्थित थे।

****

एसएनसी/डा.डीडी